

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 6/15  
 संस्थापन दिनांक:-06/01/15  
 फाईलिंग नं. 233504002062015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

राजेश पिता सदवा साहू  
 उम्र 36 वर्ष, निवासी तोरणवाड़ा,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 30.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 06.01.2015 को समय करीब 10:30 बजे प्रशांत ढाबा के सामने मेन रोड ग्राम तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 06.01.2015 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर वह प्रशांत ढाबा मेन रोड तोरणवाड़ा पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वालों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त से गवाहों के समक्ष धारदार लोहे की छुरी जप्त की गयी। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कोई कागजात न होना बताये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 10/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2015 को समय करीब 10:30 बजे प्रशांत ढाबा के सामने मेन रोड ग्राम तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 06.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ को लेकर प्रशांत ढाबा मेन रोड तोरणवाड़ा पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वालों को डराते धमकाते मिला। अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 10/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए को वही लोहे की छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया था।

6 नारायण (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी नारायण (अ.सा.-1) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है। प्रतिपरीक्षण में नारायण (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह ग्राम कोटवार के पद पर है तथा उससे पुलिस ने कहा था कि अभियुक्त राजेश शराब का धंधा करता है इस बारे में उससे पूछताछ करना है उसे थाने लेकर आना। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह घटना दिनांक को राजेश को थाने लेकर गया था जहां पर पुलिस वालों ने अभियुक्त राजेश को थाने पर बैठा लिया था और उसे वापस भेज दिया था।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नारायण (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र बिसनसिंह (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ.आई. आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक के साथ मौके पर जाकर अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना एवं उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाकर थाना आकर अपराध क्र. 10/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में उक्त साक्षी से मात्र औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से अभियुक्त से कथित आयुध जप्त किये जाने के बाद उसे सीलबंद किया गया हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। बिसनसिंह (अ.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की मौके पर नापजोख की गयी हो तथा उसे गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो। साथ ही इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से दर्शित नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2015 को समय करीब 10:30 बजे प्रशांत ढाबा के सामने मेन रोड ग्राम तोरणवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई पौने 3 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त राजेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)